

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2289] No. 2289] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 19, 2015/आश्विन 27, 1937

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 19, 2015/ASVINA 27, 1937

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 2015

का.आ. 2873(अ).—तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 (2005 का 24) की धारा 4 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उपर्युक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु तटीय जलकृषि प्राधिकरण के निम्नलिखित सदस्यों को उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त करती है:-

(1)

(क) धारा 4 की उप धारा (3) के खंड (ख) के अंतर्गत नियुक्त सदस्य:

डा॰ के॰ के॰ विजयन,

- सदस्य

निदेशक,

केन्द्रीय खारा जल जलकृषि संस्थान,

चेन्नई।

तटीय जलकृषि के क्षेत्र में विशेषज्ञ

(ख) धारा 4 की उप धारा (3) के खंड (ग) के अंतर्गत नियुक्त सदस्य:

डा॰ आर॰ किरुभागरन,

- सदस्य

वैज्ञानिक 'एफ', राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान,

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय,

चेन्नई।

तटीय पारिस्थिकी के क्षेत्र में विशेषज्ञ

4485 GI/2015

(ग) धारा 4 की उप धारा (3) के खंड (घ) के अंतर्गत नियुक्त सदस्य:

श्री टी॰ बालसुब्रमणीयन,

- सदस्य

भूतपूर्व निदेशक एवं डीन,

समुद्री जीवविज्ञान उन्नत अध्यन का केन्द्र,

अन्नामलाई विश्वविद्यालय, चिदम्बरम,

पारंगीपट्टई, तमिलनाडू

पर्यावरण सारंक्षण के क्षेत्र में विशेषज्ञ

(घ) धारा 4 की उप धारा (3) के खंड (ड.) के अंतर्गत नियुक्त सदस्य:

संयुक्त सचिव (मात्स्यिकी),

- सदस्य

पश्पालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग,

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली।

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा नामित।

(इ.) धारा 4 की उप धारा (3) के खंड (च) के अंतर्गत नियुक्त सदस्य:

श्री संतोष कुमार सारंगी,

- सदस्य

संयुक्त सचिव (ई.पी. - एम.पी.),

वाणिज्य विभाग.

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली।

वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा नामित ।

(च) धारा 4 की उप धारा (3) के खंड (छ) के अंतर्गत नियुक्त तटीय राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि :

(i) मात्स्यिकी आयुक्त, आंध्र प्रदेश सरकार

- सदस्य

(ii) आयुक्त – सह – सचिव, मात्स्यिकी और

- सदस्य
- पशु संसाधन विकास विभाग, ओडिशा सरकार
 (iii) सचिव / विशेष सचिव (मात्स्यिकी), पुदुचेरी सरकार
- गटरम
- (iii) सचिव / विशेष सचिव (मात्स्यिकी), पुदुचेरी सरकार (iv) सचिव, पश्पालन और मत्स्यपालन विभाग, कर्नाटक सरकार
- सदस्य

गर - संदर्भ [फा. सं. 33036/6/2008-मा. (टी-2)]

आदित्य कुमार जोशी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS' WELFARE

(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th October, 2015

S.O. 2873 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 4 of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 (24 of 2005), the Central Government hereby appoints the following members of the Coastal Aquaculture Authority for the purpose of the said Act for a period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette:—

(a) Member appointed under clause (b) of sub-section (3) of Section 4:

Dr. K. K. Vijayan,

- Member

Director,

Central Institute of Brackishwater Aquaculture (CIBA),

Chennai

Expert in the field of coastal aquaculture.

(b) Member appointed under clause (c) of sub-section (3) of Section 4:

Dr. R. Kirubhagaran,

-Member

Scientist "F",

National Institute of Ocean Technology (NIOT),

Ministry of Earth Sciences,

Chennai.

Expert in the field of coastal ecology.

(c) Member appointed under clause (d) of sub-section (3) of Section 4:

Shri T. Balasubramanian,

-Member

Former Director & Dean,

Centre for Advance Studies in Marine Biology,

Annamalai University, Chidambaram,

Parangipattai, Tamil Nadu.

Expert in the field of environment protection.

(d) Member appointed under clause (e) of sub-section (3) of Section 4:

Joint Secretary (Fisheries),

-Member

Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries,

Ministry of Agriculture & Farmers' Welfare, New Delhi.

Nominated by Department of Animal Husbandry,

Dairying and Fisheries, Ministry of Agriculture & Farmers' Welfare

(e) Member appointed under clause (f) of sub-section (3) of Section 4:

Shri Santosh Kumar Sarangi,

-Member

Joint Secretary (EP-MP),

Department of Commerce,

Ministry of Commerce and Industry, New Delhi.

Nominated by Department of Commerce,

Ministry of Commerce and Industry

(f) Representatives of Coastal states and union territories appointed under clause (g) of sub-section (3) of Section 4:

(i) Commissioner of Fisheries, Government of Andhra Pradesh

-Member

(ii) Commissioner-cum-Secretary, Fisheries and ARD Department,

Government of Odisha

-Member

(iii) Secretary/Special Secretary (Fisheries),

Government of Puducherry

-Member

(iv) Secretary, Department of Animal Husbandry and Fisheries,

-Member

Government of Karnataka

[F. No. 33036/6/2008-Fy (T-2)]

ADITYA KUMAR JOSHI, Jt. Secy.